A6
1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30/अपील/2019	27.02.2019	02.08.2019

जगन्नाथ आ. खेमा जाति माली निवासी ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.10.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 08 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 800/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ना तो उच्च अधिकारियों से जांच करवाई एवं ना ही नायब तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन किया। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही पूर्व में कोई कब्जा था। अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती भी नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को विधिवत नोटिंस दिया गया है जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्टस को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्टस पश्चातवर्ती

जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्टस विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्टस ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी (राज0)